न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
010/2022	2022/25	03.03.2022	14.06.2024

1. श्री वागुराम मीणा पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी केसरपुरा हाल मुकाम भुरिया लेवा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

1. मु. लाला उर्फ लालकी पत्नि अर्जुन मीणा केसरपुरा हाल मुकाम भुरिया लेवा तहसील एवं जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ (राज.)

:– अप्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 1171/1989 दिनांक 16.10.1989 एवं 1128/1989 एवं आदेश दिनांक 17.10.1989 के संबंध में

उपस्थिति :–
श्री कुशवेन्द्र सिंह (अधिवक्ता प्रार्थी)
श्री बाबुलाल जैन (अधिवक्ता अप्रार्थी)

–: आदेश :–

दिनांक :–14.06.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केशरपुरा पटवार हल्का देवगढ़ की आराजी संख्या 55 रकबा 0.63 हैक्टर एवं आराजी संख्या 46 रकबा 0.60 हैक्टर तथा आराजी संख्या 47 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.51 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से नियमित कब्जा काश्त होते हुए भी अप्रार्थिया/आवंटी द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिली भगत करते हुए उक्त आराजीयात अपने नाम आवंटन करा ली जिसके आधार पर उक्त भूमियां जरिये नामान्तरकरण संख्या 976 एवं 977 दिनांक 21.10.1989 के द्वारा अप्रार्थिया/आवंटी के नाम बतौर गैर–खातेदारी रहते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थिया/आवंटी की खातेदारी में दर्ज हो गई है।

उपरोक्त भूमियों पर प्रार्थी की नियमित कब्जा काश्त रहते हुए वर्तमान में प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त किये जाने पर उसके संज्ञान में आया कि उक्त भूमियां अप्रार्थी/आवंटी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवैधानिक आवंटन के निरस्ती की मांग की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थिया/आवंटी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा अधिनस्थ से मूल आवंटन पत्रावली तलबी के साथ आवंटित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसके क्रम में अप्रार्थिया/आवंटी की बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थिया/आवंटी कि ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल जैन द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है तथा अधिनस्थ से तलब मौका रिपोर्ट बाद प्राप्ति रिकार्ड पर शामील पत्रावली की गई।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहल उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तथा अधिनस्थ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अप्रार्थिया/आवंटी को आवंटित भूमि पर प्रार्थी का नियमित कब्जा रहा है तथा उक्त भूमियां प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमियों से लगी होकर उक्त भूमियों के आवंटन का प्रथम अधिकारी था। इन तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई मौका रिपोर्ट से भी होता है। किन्तु वक्त आवंटन जानकारी के अभाव में एक निर्विरोध नियमित कब्जे काश्त के चलते प्रार्थी द्वारा नियमितिकरण के भाव से आवंटन नहीं करा सका तथा अप्रार्थिया/आवंटी के पारिवारिक रिश्ते नाते की आड़ में समय पर विरोध नहीं कर सका किन्तु अप्रार्थिया/आवंटी द्वारा वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे–काश्त को बेदखल करने के प्रयास किये जा रहें हैं। जिससे उक्त विवादित आवंटन निरस्त कराया जाना आवश्यक हो गया है। अपनी बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थिया/आवंटी के पक्ष में किये गये अवैधानिक आवंटन को निरस्त किया जावे।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थिया/आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए अप्रार्थिया/आवंटी कि ओर से प्रस्तुत जवाब का हवाला देते हुए मुख्य रूप से कथन किये गये कि अप्रार्थिया/आवंटी को किया गया आवंटन पूर्ण रूप से वैध रहा है तथा अप्रार्थिया/आवंटी वक्त आवंटन से आवंटित भूमि पर निविवादित रूप से काबिज काश्त होकर उसके द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्यो भूमि सूधार हेतु ऋण भी प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थी अन्यथा लालच में आकर अप्रार्थिया/आवंटी को आवंटित भूमि से बेदखल करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र लगभग 30 वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया/आवंटी को आवंटित भूमि पर जबरन कब्जा किये हुए है जिसके चलते अप्रार्थिया/आवंटी को बार बार कब्जा बेदखली हेतु सक्षम स्तरों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पड़ रहे है। अप्रार्थिया/आवंटी को आवंटित भूमि रकबा में से अधिकाशं रकबा काबिल काश्त नहीं होने तथा एक फसली होने से नियमित काश्त का अभाव प्रतीत होता है किन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थिया/आवंटी की नियमित कब्जा काश्त एवं कृषि से अनुपयोगी भूमि से घास काटी जाती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मियाद बाधित होने तथा अप्रार्थिया/आवंटी के आवंटन से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत नियम 14(4) चलने योग्य नहीं है। जिसे खारीज फरमाया जावे। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में कुछ न्यायिक विनिश्चय क्रमश :– {2016(2) RRT 756}, {2016(2) RRT 758}, {2007(2) RRT 1240}, {2007(2) RRT 662}, भी प्रस्तुत किये गये।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेमों दिनांक 05.01.2022, नकल नामान्तरकरण संख्या 976 एवं 977 दिनांक 21.10.1989, नकल जमाबंदी संवत 2040–42, वर्तमान नकल जमाबंदी संवत 2074–77, रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ दिनांक 09.01.2023, जवाब अप्रार्थिया/आवंटी दिनांक 03.02.2023 एवं लिखित बहस प्रार्थी दिनांक 10.08.2023 तथा अधिवक्ता अप्रार्थिया/आवंटी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों के साथ साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहन अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम केशरपुरा पटवार हल्का देवगढ़ की आराजी संख्या 55 रकबा 0.63 हैक्टर एवं आराजी संख्या 46 रकबा 0.60 हैक्टर तथा आराजी संख्या 47 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 1.51 हैक्टर भूमियों का आवंटन अप्रार्थिया/आवंटिया को दो टूकड़ों में किया गया है। पूर्ववत् एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त भूमियां अप्रार्थिया/आवंटिया के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी अधिकार से दर्ज है। किन्तु उक्त भूमियों के नियमित कब्जा काश्त के संबंध में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आवंटित आराजी संख्या 55 रकबा 0.63 हैक्टर एवं आराजी संख्या 47 रकबा 0.28 हैक्टर भूमि वर्तमान तक मौके पर पड़त है एवं आराजी संख्या 46 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि पर अप्रार्थिया/आवंटिया की काश्त होना प्रमाणित किया गया है। किन्तु उक्त भूमि रकबा क्षेत्र पर प्रार्थी का नियमित कब्जा काश्त होना अप्रमाणित रहा है तथा प्रार्थी स्वयं के द्वारा भी ऐसे कोई साक्ष्य दस्तावेज रिकार्ड पर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे प्रार्थना पत्र सार्थक होता हो। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थिया/आवंटिया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों अनुसार वर्ष 1989 के दौरान किये गये आवंटनों को इतनी लम्बि अवधी उपरान्त रिव्यु किया जाना तथा किसी अन्य के अप्रमाणिक कब्जे काश्त के आधार पर 14 (4) की कार्यवाही स्वीकृत किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिद्ध योग्य नहीं पाये जाने से खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)